

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : प.1(1) वसूली / 115 / 2016-17 / 192

दिनांक : 15/11/2016.

सलाहकारी


मण्डल के विभिन्न वृत्त कार्यालयों के उप आवासन आयुक्तों द्वारा मण्डल के आवंटियों/आवेदकों की मांग पर मण्डल की विभिन्न प्रकार की बकाया राशि जमा कराने हेतु राशि रु. 500/- एवं 1,000/- (पुरानी मुद्रा) जमा कराने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः मण्डल में जमा होने वाली समस्त प्रकार की मांग राशि के विरुद्ध रु. 500/- एवं 1,000/- (पुरानी मुद्रा) के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजि सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजि सचिव-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजि सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल,
4. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय P & M राजस्थान आवासन मण्डल,
5. निजि सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप वित्तीय सलाहकार (CRO)/वरिष्ठ लेखाधिकारी-लांगत/वित्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-
9. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-
10. राशि संग्रहण केन्द्र संख्या राजस्थान आवासन मण्डल,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,